न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/84/2019	15–10–2019	08–02–2021

01–रामकंवार पुत्र रोहताश जाति अहीर निवासी ग्राम गिरधरकी वार्ड नम्बर 4 तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर। अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर। रेस्पाडेन्ट

2–धनीराम पुत्र रोहताश ग्राम गिरधरकी वार्ड नम्बर 4 तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल सिकन्दरापुर बडा तहसील मानेसर जिला गुडगांवा हरियाणा।

3–नरेश कुमार पुत्र रोहताश ग्राम गिरधरकी वार्ड नम्बर 4 तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर। तर0 रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार तिजारा का निर्णय दिनांक 22.07.2005 नामान्तकरण संख्या 246 ग्राम गिरधरकी तहसील तिजारा।

उपस्थित :–

01. श्री दिनेश कुमार यादव –वकील अपीलाण्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 22–07–2005 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 246 वाके ग्राम गिरधरकी में अपीलाण्ट की माता का नाम गलत रूप से इन्द्राज किया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पाडेन्ट की माता जी श्रीमती किशनदेई स्त्री श्री रोहिताश अहीर निवासी गिरधारीकी ढाणी (तिजारा) ने आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम गिरधरकी तहसील तिजारा में से 0.81 है0 खातेदारी श्री जयनारायण पुत्र श्री कालू जाति सैनी निवासी वार्ड नं0 3 कस्बा तिजारा से जरिये बयनामा क्रमांक 1097 दिनांक 11.07.2005 को खरीद की थी। अपीलान्ट व तर0 रेस्पा0 की माताजी ने इंतकाल बयनामा के अपने नाम दर्ज व स्वीकार किया गया है। तहत अदालत ने बयनामा का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया गया। अपीलीय इंतकाल में अपीलान्ट की माता का नाम सहवन से बिशनदेई दर्ज किया गया है। जबकि अपीलान्ट की माताजी का सही व वास्तविक नाम किशनदेई है तथा बयनामा में भी अपीलान्ट की माताजी का किशनदेई

जिला कलक्टर, अलवर

अंकित है। श्रीमती किशनदेई के आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में भी किशनदेई नाम दर्ज है तथा उक्त दस्तावेजात अपीलान्ट की माताजी द्वारा बयनामा के साथ प्रस्तुत किये गये थे। किशनदेई का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2016 को हो चुका है। अपीलान्ट व तर0 रेस्पा0 किशनदेई स्त्री रोहिताश के पुत्र है एवं जायज वारिसान है। इंतकाल में गलत नाम दर्ज होने से अपीलान्ट व तर0 रेस्पा0 के नाम विरासत इंतकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश खिलाफ तथ्य कानून मौका राजस्व रिकार्ड प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है, इसलिये विवादित आज्ञा को अपीलान्ट के नाम सही करने की हद तक निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 11–09–2019 को पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकार्ड की नकल लेने गया तो जानकारी हुई और दिनांक 11–09–2019 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि और दिनांक 12–09–2019 को प्रमाणित प्रति के माध्यम से हुई जिस पर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अपील मियाद बहार पेश की गई है अपीलान्ट ने अपील जाबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नही किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पस्ट करना होता है। नाम दुरूस्ती के लिए सक्षम न्यायालय में वाद करना चाहिऐं। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बहार व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश दिनांक 22–07–2005 के विरूद्ध दिनांक 15–10–2019 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि बयनामा का इंतकाल 246 दर्ज किया, विवादित इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने भूलवश मानवीय त्रूटिवश खरीदार का नाम "किशनदेई" के स्थान पर "बिशनदेई" दर्ज कर दिया। जबकि मुताबिक बयनामा सही नाम "किशनदेई" है, तथा तहत अदालत ने इंतकाल स्वीकार करते समय अपीलान्ट व तर0 रेस्पा0 की माताजी के नाम की सही जांच नहीं की। जबकि श्रीमती किशनदेई के आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र में भी किशनदेई नाम दर्ज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रिमान्ड किया जाना उचित समझतें है।

जिला कलक्टर, अलवर

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार तिजारा का आदेश दिनांक 22–05–2005 बावत नामान्तरण संख्या–246 ग्राम गिरधरकी तहसील तिजारा जिला अलवर "विशनदेई" के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अलवर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह विवादित बयनामा की जांच कर अपीलान्ट व तर0 रेस्पा0 को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर मृतक किशनदेई के वास्तविक वारिसान की जांच कर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08–02–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दलाल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर